

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रायबरेली।

सेवा में,

प्रधान,

-----  
-----  
-----

पत्रांक/शिक्षा/मान्यता/45-52/2003-2004/

दिनांक- 7-4-03

विषय- शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं० 646/15-6-97-18 एतः 71/89 दिनांक 13, अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

शासनादेश सं० में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्न लिखित शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

- |     |                        |   |      |
|-----|------------------------|---|------|
| 01- | प्रधानाध्यापक          | - | 01पद |
| 02- | सहायक अध्यापक          | - | 04पद |
| 03- | लिपिक                  | - | 01पद |
| 04- | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | - | 01पद |

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय/विभागिय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का होगा।

भवदीय

डा० ब्रजेश मिश्र  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रायबरेली  
तिथि- उक्तवत्

पृ०सं०/शिक्षा/मान्यता/ /2003-2004/

प्रतिलिपि- 01- निम्न को सूचनाथै मे सादर प्रेषित।

- 01- अमर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 02- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
- 03- संयुक्त शिक्षा निदेशक छठ मण्डल लखनऊ।
- 04- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, छठ मण्डल लखनऊ।
- 05- जिला समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली।
- 06- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी रायबरेली।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा रायबरेली।

Principal  
New Standard Public School  
Sr. Sec. School  
Tripula-Raebareli

MANAGER  
New Standard Public School  
Tripula, Raebareli  
डा० ब्रजेश मिश्र  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रायबरेली।